न्यायालय पंचम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून।
प्रार्थना पत्र संख्या :–2164/2026
राजेश कुमार जुयाल बनाम राज्य।

थाना–क्लेमेंटाउन, देहरादून।

दिनांक–23.06.2026 **रिलीज आदेश**

प्रार्थी राजेश कुमार जुयाल पुत्र श्री जगदीश चन्द जुयाल, निवासी–30, त्रिमूर्ति विहार, लेन नं0–सी–9 टर्नर रोड, क्लेमेंटाउन, मोहब्बेवाला, देहरादून की ओर से अधिवक्ता मोसिन द्वारा प्रार्थना इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि निवेदन है कि प्रार्थी उपरोक्त पते का निवासी है। दिनांक 02.06.2026 को प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी कर प्रार्थी के खाता सं0–2231110060054109 IFSC Code-UJVN0002231 उजीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० से मु० 82,900/– रुपये अन्य बैंक खाते में ट्रांसफर हो गये। प्रार्थी को तुरन्त ही साईबर ठगी का एहसास हुआ और प्रार्थी ने साईबर ठगी से हुई धनराशि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में साईबर थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई जिसका शिकायत प्रार्थनापत्र नं०/Acknowledgement No–33506260008599 है। शिकायत दर्ज होने के तुरन्त बाद ही प्रार्थी के खाते से निर्गत धनराशि में से मु0 82,900/– जीओ पेयमेन्ट बैंक लि० (खाता सं0–002071871000009) में दिनांक 03.06.2026 को होल्ड कर लिया गया व मामले की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रार्थी का शिकायत प्रार्थनापत्र थाना क्लेमेन्टाउन, देहरादून में भेज दिया गया। थाना क्लेमेन्टाउन, देहरादून ने प्रार्थी को यह बताया गया कि उक्त मु० 82,900/– रुपये जीओ पेयमेन्ट बैंक लि० में होल्ड है जो न्यायालय के आदेश से ही निर्मुक्त किया जा सकता है। प्रार्थी मु० 82,900/– रुपये की धनराशि को अपने हक में निर्मुक्त करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी की खाता धनराशि मु० 82,900/– रुपये को जीओ पेयमेन्ट बैंक लि० सं0–002071871000009 से प्रार्थी के खाता सं0–2231110060054109 IFSC Code-UJVN0002231 उजीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि० में निर्मुक्त करने हेतु उक्त जीओ पेयमेन्ट बैंक लि० के शाखा प्रबन्धक को आदेशित करने की याचना की गयी है।

2. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्या के अनुसार प्रार्थी राजेश कुमार जुयाल द्वारा शिकायत दर्ज करायी गयी है, जिसमें प्रार्थी के साथ दिनांक 02.06.2026 को 82,900/–रूपये का ऑनलाईन फ्रॉड हुआ है, जिसमें से 82,900/–रूपये साईबर कंप्लेंट होने पर साइबर थाने द्वारा विभिन्न खातों में होल्ड कराए गए हैं।

3. सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4. प्रस्तुत प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत कुल धनराशि 82,900/–रूपये पर अपना स्वामित्व दर्शाया है। थाना हाजा द्वारा प्रार्थी के द्वारा आनलाइन भुगतान के माध्यम से 82,900/–रूपये की धनराशि की ऑनलाईन धोखाधड़ी की गयी, जिसमें से 82,900–रूपये सा. ईबर कंप्लेंट होने पर साइबर थाने द्वारा भिन्न–भिन्न बैंक में होल्ड कराए गए हैं। अतः प्रार्थी के पक्ष में उक्त धनराशि को निम्न शर्तो के अधीन निर्मुक्त किया जाता है:–

1– प्रार्थी मु0 83,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि का एक जमानती निष्पादित करें।

2– संबंधित थानाध्यक्ष/बैंक को आदेशित किया जाता है कि वह फ्रीज की गई कुल धनराशि मु0 82,900/–रूपये को नियमानुसार निर्मुक्त कराए।

(विशाल वशिष्ठ)
पंचम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून।